



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/7490/अका./2012

रायपुर, दिनांक 01/06/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 28 मई, 2012 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती)आभा रूपेन्द्रपाल	—	सदस्य
3. प्रो.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	—	सदस्य
4. प्रो. व्यासनारायण दुबे	—	सदस्य
5. प्रो. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
6. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
7. डॉ. दीपक कारकून	—	सदस्य
8. डॉ. अरविंद गिरोलकर	—	सदस्य
9. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
10. डॉ. आर. बाला सुब्रामनियम	—	सदस्य
11. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
12. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
13. श्री अशोक लोहिया	—	सदस्य
14. डॉ. रवि भोई	—	सदस्य
15. श्री देवजी भाई पटेल	—	सदस्य
16. श्री रामजी भारती	—	सदस्य
17. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	—	सदस्य
18. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक-1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.05.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.05.2012 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.05.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.05.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित संशोधन एवं निर्णय के साथ की सूचना ग्रहण की गई।

- (i) पूरक विषयसूची विषय क्रमांक 8 कार्यपरिषद के निर्णयानुसार शीघ्र वाहन क्रय किया जावे।
- (ii) अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक 3 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में प्रवेश शुल्क के साथ-साथ अन्य सभी शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-3

विश्वविद्यालय संशोधित अध्यादेश क्र. 4 की कंडिका 2.1.3 में निर्धारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय संशोधित अध्यादेश क्रमांक-4 की कंडिका 2.1.3 में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के प्रकरण पर पुराने पी-एच.डी. अध्यादेश-45 एवं संशोधित पी-एच.डी. अध्यादेश 45 में उल्लेखित बिन्दुओं का परीक्षण कर समतुल्यता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित कार्यपरिषद सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया-

1. डॉ. बी.के. शर्मा
2. डॉ. आर.बाला सुब्रामनियम
3. डॉ. एम.आई.मेमन

विषय क्रमांक-4

जनसम्पर्क अधिकारी, प्लेसमेंट आफिसर के पद हेतु चयन समिति की गठन पर विचार करना।

निर्णय : जनसम्पर्क अधिकारी के पद के चयन समिति के लिए कार्यपरिषद की ओर से डॉ. रवि भोई एवं प्लेसमेंट आफिसर के पद के लिए चयन के लिए चयन समिति में कार्यपरिषद की ओर से डॉ. उज्ज्वल पाटनी के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-5

अविवा इंफोटेक कॉलेज, बैरनबाजार, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अविवा इंफोटेक कॉलेज, बैरनबाजार, रायपुर में प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार डॉ. यूलेन्द्र कुमार राजपूत के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-6

शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को वनस्पति शास्त्र विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को वनस्पति शास्त्र विषय में शोध समिति की अनुशंसानुसार शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची-

विषय क्रमांक-1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.05.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना ।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.05.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।

विषय क्रमांक-2

रसायन अध्ययनशाला की रक्षा अनुसंधान विकास विभाग (DRDO) नई-दिल्ली शोध परियोजना के अंतर्गत Fluorescence Spectrophotometer कय करने पर विचार करना ।

निर्णय : रसायन अध्ययनशाला की रक्षा अनुसंधान विकास विभाग (DRDO) नई-दिल्ली शोध परियोजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से कय नियम का पालन करते हुए Fluorescence Spectrophotometer डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. की अनुशंसानुसार कय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय क्रमांक-3

हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण, राजनीति विज्ञान एवं समाजविज्ञान से संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं के पारिश्रमिक सीमा वृद्धि करने पर विचार करना ।

निर्णय : हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण, राजनीतिविज्ञान एवं समाजशास्त्र से संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं के पारिश्रमिक की सीमा वृद्धि वार्षिक परीक्षा 2012 के लिए रु. 35,000/- करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :-

1. छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया ।
2. वार्षिक परीक्षा 2012 एवं सेमेस्टर परीक्षा आयोजित होने के पश्चात् प्राप्त गोपनीय देयक का अनुमोदन किया गया ।
3. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.05.2012 में श्री सौरभ सोनी, परीक्षार्थी बी.बी.ए. के प्रकरण पर कार्यपरिषद द्वारा गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया । इसी प्रकार इस विश्वविद्यालय के बी.ई. पाठ्यक्रम के पुराने प्रकरण के लिए अंतिम बार अवसर दिया जावे । इस प्रकार के सभी परीक्षार्थियों से वचन-पत्र जमा करा ली जावे । इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जावे ।

4. मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा अधिसूचित मूल्यांकन केन्द्रों में कार्यरत समन्वयक एवं अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक निम्नानुसार निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान किया गया :

समन्वयक	—	250.00
सह-समन्वयक	—	200.00
लिपिक वर्ग	—	80.00
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	60.00

पारिश्रमिक वृद्धि वार्षिक परीक्षा 2012 से प्रभावशील किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।



(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष



(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ.क्रमांक 7491 / अका./ का.प./ 2012
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 01/06/2012

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



उपकुलसचिव (अकादमिक)